राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9 (4) (16) (1)/छात्र/अं.ति./सान्याअवि/2011/14-15/ 17223 जयपुर, दिनांक 20/3/15

प्रेस विज्ञप्ति

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 9 (4) (16) (1)/छात्र/अं.ति./सान्याअवि/2011/13-14/ 13580 दिनांक 9.3.2015 के द्वारा अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति वर्ष 2014-15 के तृतीय चरण में आवेदन पत्र ऑनलाइन करने की तिथि से लेकर आवेदक के खाते में राशि हस्तांतरित करने की कार्यवाही के लिए अंतिम तिथियां निर्धारित की गई थी।

छात्रहित में वर्ष 2012-13 से 31 जनवरी, 2015 तक आवेदित लम्बित अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग के उत्तर मैट्रिक छात्रवृति आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आवेदन पत्र विद्यार्थी द्वारा ऑन लाइन लॉक करने, संस्था द्वारा विद्यार्थी से हार्डकॉपी/वांछित दस्तावेज प्राप्त करने, संस्था द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन पत्र फॉरवर्ड करने, हार्ड कॉपी/वांछित दस्तावेज जमा कराने तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (तृतीय चरण) योजना में नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित करने से लेकर आक्षेप पूर्ति करने तक की कार्यवाही के लिए निम्नानुसार अंतिम तिथियां निर्धारित की जाती है :

क्र. सं	विषय वस्तु	वर्ष 2012-13 से 31 जनवरी, 2015 तक आवेदित लम्बित आवेदन पत्र एवं 9 मार्च, 2015 से 30 अप्रेल, 2015 तक नवीन आवेदित ऑन लाईन छात्रवृति आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु निर्धारित अंतिम तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ करना।	09 मार्च, 2015
2	आवेदक द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन पत्र लॉक करने एवं पोर्टल बन्द करने की अंतिम तिथि।	30 अप्रेल, 2015
3	आवेदक द्वारा पूर्व में ऑन लाइन भरे गये आवेदन पत्र लॉक करने, संस्था में हार्डकॉपी जमा कराने, आक्षेप पूर्ति हेतु दस्तावेज संस्था में जमा कराने की अंतिम तिथि	30 अप्रेल, 2015
4	संस्था को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑन लाइन आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदन पत्र फारवर्ड करने/हार्ड कॉपी के साथ चैकलिस्ट के अनुसार संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की जॉच उपरान्त संस्था प्रधान द्वारा अपनी अनुशंसा सहित आवेदन पत्र जिला कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि	11 मई, 2015
5	शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त समस्त छात्रवृति आवेदन पत्रों की ऑन लाईन स्वीकृति/ अस्थायी/स्थायी अस्वीकृति/आक्षेप करने एवं आक्षेपित आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थाओं को प्रतिप्रेषित (पुनः फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि	31 मई, 2015
6	विद्यार्थियों/संस्थाओं द्वारा आक्षेप/अस्थायी /स्थायी अस्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों की आपत्तियों के क्रम में जिला कार्यालय मे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	19 जून, 2015

आवेदन प्रक्रिया एवं पात्रता की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट **http://www.sje.rajasthan.gov.in** एवं **rajpms.nic.in** पर उपलब्ध है।

A 20.3.15
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक